

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-आव्हान निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या  
206/2024

दायर दिनांक  
20.05.2024  
उनवान

निर्णय दिनांक  
11.06.2024

1. नानुराम पुत्र नारु बलाई जाति सालवी उम्र 79 वर्ष निवासी रतनपुरा तहसील व जिला भीलवाडा राज.

— प्रार्थी


बनाम

1. गंगाराम बलाई पुत्र लालु बलाई जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रतनपुरा तहसील व जिला भीलवाडा राज.
2. नारायण बलाई पुत्र नगजी बलाई जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रतनपुरा तहसील व जिला भीलवाडा राज.
3. भैरु बलाई पुत्र नगजी बलाई जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रतनपुरा तहसील व जिला भीलवाडा राज.
4. मदन बलाई पुत्र नगजी बलाई जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रतनपुरा तहसील व जिला भीलवाडा राज.
5. लेहरू बलाई पुत्र बालु बलाई जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रतनपुरा तहसील व जिला भीलवाडा राज.
6. शंकर बलाई पुत्र नगजी बलाई जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रतनपुरा तहसील व जिला भीलवाडा राज.
7. नाथु बलाई पुत्र भोडा बलाई जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रतनपुरा तहसील व जिला भीलवाडा राज.
8. रामेश्वर बलाई पुत्र मोहन बलाई जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रतनपुरा तहसील व जिला भीलवाडा राज.
9. सम्पत पुत्र कजोड बलाई जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रतनपुरा तहसील व जिला भीलवाडा राज.
10. मेघा पुत्र बालु बलाई जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रतनपुरा तहसील व जिला भीलवाडा राज.
11. मदन पुत्र मगना बलाई जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी रतनपुरा तहसील व जिला भीलवाडा राज.
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा राज.

—विपक्षीगण

उपस्थित:-अधिवक्ता प्रार्थी उदयसिंह दरोगा

अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 11 उपस्थित नहीं

  
पीठासीन अधिकारी  
भीलवाडा

-: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम :-


-: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा रतनुपरा प0ह0 कारोईकलां भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2073-2076 के खाता संख्या 5 की अभिलिखित आराजियात 1110 कुल किता 01 कुल रकबा 0.0379 हैक्टेयर व खाता संख्या 7 की आराजी संख्या 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 4074 4075, 4076, 4080 कुल किता 10 कुल रकबा 1.6440 है0 भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पंडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 11 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा रतनुपरा प0ह0 कारोईकलां भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2073-2076 के खाता संख्या 5 की अभिलिखित आराजियात 1110 कुल किता 01 कुल रकबा 0.0379 हैक्टेयर व खाता संख्या 7 की आराजी संख्या 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 4074 4075, 4076, 4080 कुल किता 10 कुल रकबा 1.6440 है0 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे।

  
उपर्युक्त अधिकारी  
भीलवाडा

पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खड़ी न हो तो बन्दोबरती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्या मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 11.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अहमद निवृत्ति सोमनाथ)

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाडा  
भीलवाडा